

**Special Auxiliary Police (SAP) के प्रथम एवं द्वितीय वाहिनी में पूर्व सैनिकों के लिए
संविदा के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन।**

विज्ञापन संख्या 01/2024

- राज्य सरकार के द्वारा विधि-व्यवस्था संधारण एवं नक्सल विरोधी अभियान को गति देने एवं अन्य सुरक्षा संबंधी दायित्वों, जैसे-राज्य की काराओं की सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, थाना/ओपीओ/टीओपीओ में पर्याप्त सशस्त्र बल उपलब्ध कराने आदि के उद्देश्य से सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों की सेवा अनुबन्ध पर प्राप्त कर बहुदेशीय Special Auxiliary Police (SAP) के दो वाहिनियों का गठन किया गया है।
- सैप-01 वाहिनी टाटीसिलवे, राँची एवं सैप-02, वाहिनी हलुदबनी, जमशेदपुर में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु पदवार रिक्ति तथा मासिक वेतन की विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	पदनाम	कुल रिक्तियाँ	एक मुरत वेतन प्रतिमाह
1	सूबेदार मेजर	03	25,000 ₹0
2	नायब सूबेदार (सामान्य)	13	25,000 ₹0
3	नायब सूबेदार (तकनीकी)	02	25,000 ₹0
4	नायब सूबेदार (वितन्तु)	20	25,000 ₹0
5	नायब सूबेदार (आशु अ0नि0)	01	25,000 ₹0
6	हवलदार (सामान्य)	102	20,000 ₹0
7	हवलदार (चालक)	06	20,000 ₹0
8	सिपाही (सामान्य)	385	20,000 ₹0
9	सिपाही (चालक)	20	20,000 ₹0
10	रसोईया	13	20,000 ₹0
	कुल	565	

- गृह विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र सं0-108, दिनांक 07.06.2008 के कंडिका 03 के आलोक में "प्रत्येक बटालियन के लिए भारतीय सेना से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट कर्नल/मेजर/कैप्टन/सूबेदार मेजर/सुबेदार/नायब सुबेदार/हवलदार/सिपाही/चालक हवलदार/चालक सिपाही/वितन्तु स्टाफ/लिपिक एवं रसोईया को 02 (दो) वर्षों के लिए अनुबन्ध के आधार पर रखा जायेगा और आवश्यकतानुसार इस अवधि का विस्तार आगे भी 05 (पाँच) वर्षों तक किये जाने पर विचार किया जा सकता है। इन्हें विशेष पुलिस पदाधिकारी (Special Police Officer) के रूप में शक्ति प्रदत्त की जायेगी।
- गृह विभाग, झारखण्ड सरकार का स्वीकृत्यादेश संख्या-108, दिनांक-07.06.2008 की कंडिका-4(V), गृह विभाग का पत्र संख्या 3898 दिनांक 30.09.2009, गृह विभाग पत्र संख्या-3813 दिनांक 22.06.2015, गृह विभाग का पत्र संख्या 1665, दिनांक 18.03.2016, गृह विभाग का संकल्प संख्या-6463, दिनांक 02.12.2016, गृह विभाग संकल्प ज्ञापांक-4069 दिनांक 27.10.2021, गृह विभाग का पत्र संख्या-4638, दिनांक 21.11.2022 एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-329/बजट, दिनांक 23.08.2014 के अनुसार सेवा संबंधी अनुबन्ध में निम्नलिखित शर्तें होगी :-

- (क) सेवानिवृत्त जे.सी.ओ, हवलदार एवं सिपाहियों का अनुबंध एक मुश्त मासिक वेतन के आधार पर संविदा पर नियुक्त किया जायेगा।
- (ख) निर्धारित मानदेय में प्रति वर्ष की सेवावधि के उपरान्त सभी सैपकर्मियों को 8 (आठ) प्रतिशत मानदेय बढ़ोत्तरी स्वतः दे दिया जायेगा।
- (ग) वर्तमान में दोनों वाहिनियों का कार्यकाल दिनांक 31.05.2027 तक विस्तारित है।
- (घ) झारखण्ड राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने की स्थिति में ही विवेचित रिक्त पदों पर दूसरे राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों से नियुक्ति की जायेगी।
- (ङ) अनुबंध पर रखे इन भूतपूर्व सैनिक पदाधिकारी/कर्मियों को एक वर्ष में कम से कम 30 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।
- (च) यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी Duty के दौरान नियमानुसार देय होगा।
- (छ) कर्तव्य पालन के क्रम में उग्रवादी हिंसा में मृत्यु की परिस्थिति में राज्य के पुलिसकर्मियों के आश्रितों को जो अनुग्रह अनुदान देय है, वह मृत सैपकर्मियों के आश्रित (यथा प्राथमिकता के आधार पर पत्नी/पति/पुत्र/अविवाहित पुत्री/पुत्र को विधवा पत्नी/भाई/अविवाहित बहन/माता/पिता) को देय होगा, साथ ही उपरोक्त आश्रितों में से एक सुयोग्य आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर आरक्षी/चतुर्थकर्मियों पर सरकारी नौकरी अनुमान्य होगी।
- (ज) गृह विभाग का पत्र संख्या 1665, दिनांक 18.03.2016 के अनुसार भूतपूर्व सिपाही/हवलदार की उम्र 35-55 वर्ष के बीच होगी तथा पदाधिकारियों की उम्र 58-62 के बीच होगी। इससे कम आयु वाले एवं विशेष प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों/पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (झ) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-329/बजट, दिनांक-23.08.2014 के कंडिका 1 में उल्लेखित प्रावधान संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों पर लागू होगा।
- (ञ) इन्हें पूर्ण अनुशासन एवं निष्ठा कायम रखना होगा। अनुशासनहीनता एवं कार्यहीनता तथा कदाचार एवं चारित्रिक दोष के कारण बिना किसी नोटिस के अनुबंध समाप्त करने का प्रावधान होगा।
- (ट) सेवानिवृत्ति के समय मेडिकल कैटेगरी, Psychological(S-1), Hearing (H-1), Appendages (A 1), Physical (P-1), Eye Sight(E-1) (SHAPE-1) होना चाहिए तथा चिकित्सा जाँच में पूरी तरह योग्य पाये जाने पर ही अनुबंध पर लिया जायेगा।
- (ठ) सेवा में योगदान के लिए प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक/पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।
- (ड) सेवानिवृत्ति के समय औचरण, Discharge Book में Exemplary or very good दर्शित होना चाहिए।
5. पैरा 02 में अंकित क्रमांक 01 से 10 तक के उम्मीदवारों की नियुक्ति झा0स0पु0-1 डोरण्डा, राँची में किया जायेगा। साक्षात्कार दिनांक 27/28 एवं 29.08.2024 को 10.00 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ की जायेगी। इच्छुक उम्मीदवार नियुक्ति बोर्ड के समक्ष उपरोक्त तिथि एवं समयानुसार आवेदन प्रपत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। साक्षात्कार एवं चिकित्सीय जाँच में योग्य पाये जाने पर योगदान के लिए बुलावा पत्र/नियुक्ति पत्र दिया जायेगा। योगदान पर बुलावा पत्र के साथ अपना आवश्यक वस्त्र/Combat Dress, बिस्तर तथा कम से कम दो माह के भोजन के लिए आवश्यक राशि साथ लेकर आयेगे।

- 6 पूर्व में भर्ती के दौरान यह पाया गया है कि कुछ चयनित उम्मीदवार योगदान नहीं देते हैं, जिसके वजह से पद रिक्त रह जाते हैं। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया में पदवार रिक्तियों का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को योग्यता के आधार पर चयनित कर प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। जिन रिक्त पदों की संख्या 10 से कम है उसमें 01 पद प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। चयनित उम्मीदवार यदि निर्धारित तिथि को योगदान नहीं देते हैं तो प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवारों को पदवार योग्यता के क्रमानुसार निबंधित पत्र के द्वारा निर्धारित तिथि को योगदान देने के लिए बुलाया जायेगा।
- 7 अनुबंध पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भूतपूर्व सैनिक उपरोक्त तिथियों को परिशिष्ट 'क' पर दिये प्रपत्र (आवेदन) को भरकर, चार स्टाम्प साईज फोटो, एक पासपोर्ट साईज फोटो, Discharge Book, पहचान-पत्र, Pension payment Order, कोर्स सर्टिफिकेट का मूल प्रमाण-पत्र के साथ छायाप्रति भी लेकर आयेंगे। यह प्रपत्र झारखण्ड पुलिस मुख्यालय के वेबसाइट www.jhpolice.gov.in पर भी उपलब्ध है।
- 8 आवेदन प्रपत्र अध्यक्ष, सैप नियुक्ति बोर्ड, पुलिस उप-महानिरीक्षक, दण्डो, क्षेत्र, राँची को संबोधित होगा।
- 9 नियुक्ति प्रक्रिया को किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निरस्त करने का अधिकार पुलिस मुख्यालय झारखण्ड, राँची को होगा।

अनुलग्नक:- परिशिष्ट 'क'

पुलिस महानिरीक्षक (अभियान),
झारखण्ड, राँची।

परिशिष्ट 'क'

झारखण्ड स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxilary Police (SAP) में भूतपूर्व सैनिकों
की नियुक्ति हेतु आवेदन का प्रपत्र
विज्ञापन संख्या-01/2024

सेवा में,

.....
.....
.....

हाल का पासपोर्ट
साईज स्वाहस्ताक्षरित
फोटो गोंद से
चिपकाये (हस्ताक्षर
का कुछ भाग फोटो
पर एवं कुछ भाग
आवेदन पत्र पर हो)

1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदक का नाम (बड़े देवनागरी अक्षरों में साफ-साफ) :-
(बड़े रोमन अक्षरों में साफ-साफ) :-
3. पिता का नाम (बड़े देवनागरी अक्षरों में साफ-साफ) :-
4. स्थायी पता :-
(क) ग्राम/मुहल्ला :- (ख) पत्रालय :-
(ग) थाना :- (घ) जिला :- पिन कोड :-
5. पत्राचार का पता :-
(क) ग्राम/मुहल्ला :- (ख) पत्रालय :-
(ग) थाना :- (घ) जिला :- पिन कोड :-

6-फोन/मोबाईल नं:-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (क) नियुक्त वाहिनी :- सैप- (ख) प्रतिनियुक्त कंपनी/संस्थान :-

जन्म तिथि :- दिन माह वर्ष

/ /2024 दिन माह वर्ष

को आवेदक की आयु

7. स्थल सेना में भर्ती होने की तिथिकिस पद पर कार्यरत रहे.....रेजिमेन्ट/कोर
8. सेवानिवृत्ति की तिथि....., पदएवं यूनिट जहाँ से सेवानिवृत्त हुए
9. सैन्य सेवा के दौरान विशेष प्रशिक्षण, उग्रवाद ग्रसित क्षेत्रों में सेवा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य की विवरणी :-

(आवश्यकता हो तो यह विवरणी अलग पृष्ठ पर लिख कर संलग्न करें)

- (क) विशेष प्रशिक्षण (आर्मी कोर्स और ग्रेडिंग)
- | | |
|------|-------|
| (i) | (iii) |
| (ii) | (iv) |
- (ख) उग्रवाद ग्रसित इलाकों में सेवा विवरणी
- | | |
|------|-------|
| (i) | (iii) |
| (ii) | (iv) |
- (ग) प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव
- | | |
|------|-------|
| (i) | (iii) |
| (ii) | (iv) |

10. शारीरिक पहचान के दो चिन्ह :-

(क)

(ख)

11. संलग्न किये जाने वाले अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची (डिस्चार्ज कार्ड/पहचान-पत्र/शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि प्रमाण-पत्र/चार स्टाम्प साईज फोटो एवं एक पासपोर्ट साईज फोटो)

1.

2.

3.

4.

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर रेखा के उपर

स्थान :-

दिनांक :-

घोषणा-पत्र

12. मैं घोषणा करता हूँ कि उपर दी गयी सभी सूचनायें तथा संलग्न प्रमाण-पत्र सही है। मिथ्या पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी एवं नियुक्ति बिना सूचना के रद्द की जा सकती है। यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं किसी फौजदारी मुकदमें में आरोप पत्रित /संदिग्ध/दण्डित नहीं हुआ हूँ ।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर

इस रेखा के नीचे आवेदक कुछ न लिखें

आवेदन पत्र की पावती

आवेदन प्राप्ति रसीद संख्या

स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस {Special Auxilary Police (SAP)} में अनुबंध पर कार्य करने हेतु भारतीय सेना केरेजिमेन्ट/यूनिट से सेवानिवृत्त पदनाम.....श्रीपे0

.....ग्राम.....पो0.....थाना.....जिला.....

.....राज्यसे आवेदन प्राप्त किया गया। आवेदन की स्क्रीनिंग तथा अन्य जाँच के पश्चात सफल आवेदनकर्ताओं को चिकित्सा जाँच हेतु सूचित किया जायेगा। सेवाभिलेख की जाँच, चिकित्सा जाँच एवं अन्य मापदण्डों पर योग्य पाये गये आवेदनकर्ताओं को ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया जायेगा। अयोग्य पाये गये आवेदनकर्ता की कोई भी अपील मान्य नहीं होगी।

हस्ताक्षर

वास्ते पुलिस उप-महानिरीक्षक, द0छो0 क्षेत्र, राँची।

तिथि/...../2024

नोट :-

1. मेडिकल टेस्ट के लिए दिनांकको प्रातःबजे.....में रिपोर्ट करना है।
2. सभी उम्मीदवार अपना डिस्चार्ज कार्ड एवं पहचान-पत्र लेकर आयेंगे।